



## पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशिष सहायता योजना

### प्रलिमिन्स के लिये:

[पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशिष सहायता योजना](#), कोवडि-19 महामारी, [15वाँ वतित्त आयोग](#), शहरी नयिोजन, मेक इन इंडिया

### मेन्स के लिये:


[पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशिष सहायता योजना](#)

[स्रोत: हद्वि बजिनेस लाइन](#)

### चर्चा में क्यों?

[पूँजीगत वयय/नविश हेतु राज्यों को वशिष सहायता योजना](#) के तहत केंद्र द्वारा आवंटिति ₹ 1,67,518.6 करोड की वशिष सहायता (ऋण) में से सर्वाधकि हसिसा वगित चार वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्रापरट हुआ है ।


- प्रदत्त पर्याप्त वतित्तीय सहायता यूपी में वकिस पहलों को बढावा देने के लिये सरकार की प्रतबिद्धता को रेखांकित करती है ।



# Centre's capex loans

**Funds released under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure/ Investment (in ₹ cr)**

*From 2020-21 to 2023-24  
(as on Dec 13, 2023)*



## वित्त मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत व्यय के रुझान क्या हैं?

- यूपी और बिहार शीर्ष दो राज्य हैं जिन्होंने पूंजीगत व्यय से संबंधित मानदंडों को पूरा किया है तथा वगित चार वर्षों में योजना के तहत अधिकतम आवंटन प्राप्त किया है।
- उत्तराखंड, हरियाणा, केरल एवं पंजाब उन राज्यों में से हैं जिन्होंने योजना के तहत कुल आवंटित राशिका लगभग 1-2% प्राप्त हुआ है।
- आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर एवं पंजाब को वर्ष 2023-24 में कोई आवंटन नहीं मिला है व वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन राज्यों ने योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

## पूंजी नविश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना क्या है?

- परचिय:
  - यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुरू की गई थी।
  - वर्तमान में इस योजना का वसितार किया गया है तथा इसे ₹1.3 लाख करोड़ के आवंटन के साथ 'पूंजी नविश' के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के रूप में जारी रखा गया है।
- भाग:
  - इस योजना के आठ भाग हैं, भाग-I 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सबसे बड़ा है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और कर्तव्यों में उनकी हसिसेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है।
  - योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्र विशेष परियोजनाओं के लिये हैं।
    - भाग- II पुराने वाहनों को हटाने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है;
    - भाग-III व IV शहरी नयोजन और शहरी वित्त में सुधार के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं;
    - भाग-V शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के भीतर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिये आवास स्टॉक बढ़ाने के लिये धन प्रदान करता है।
    - योजना का भाग-VI यूनैटि मॉल परियोजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया एवं एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
    - भाग-VII के तहत, राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढाँचे के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाते हैं, जसिसे मुख्य रूप से बच्चों एवं कशिरों को लाभ होता है।
- योजना के उद्देश्य:
  - क्योंकि इससे मांग बढ़ने और नौकरियों उत्पन्न होने का अनुमान है, इस कार्यक्रम का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा।
  - इस योजना का उद्देश्य राज्य के हसिसे को पूरा करने के लिये धन प्रदान करके जल-जीवन मशिन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति को बढ़ाना भी है।
  - यह योजना शहरों में जीवन की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार के लिये राज्यों को शहरी नयोजन और शहरी वित्त में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करती है।

## भारत में पूंजीगत व्यय क्या है?

- पूंजीगत व्यय (Capex):
  - यह बुनियादी ढाँचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों के अधगिरहण, निर्माण या सुधार के लिये सरकार द्वारा आवंटित धन को संदर्भित करता है।
  - इसे उत्पादक और विकास बढ़ाने वाला माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है तथा भविष्य में आय एवं रोजगार उत्पन्न करता है।
  - भारत सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवंटित करती है, जसिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
    - पूंजी नविश परवियय में लगातार तीन वर्ष की वृद्धि देखी गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है, जो 33% (केंद्रीय बजट 2023-24) की महत्त्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रभावी पूंजीगत व्यय:
  - बजट में प्रस्तुत पूंजीगत व्यय में राज्यों और अन्य एजेंसियों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति बनाने पर सरकार द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है।
    - इन अनुदानों को बजट में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल परसंपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं।
    - इसलिये केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक नविश की वास्तविक सीमा को तक पहुँचने के लिये 'प्रभावी पूंजी व्यय' की एक अवधारणा पेश की गई है।
  - प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परसंपत्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय और अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इसका बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए या GDP का 4.5% (केंद्रीय बजट 2023-24) है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

Q. नमिनलखिति में से कसिको/कनिको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? (2016)

1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परसिंपत्तियों के अधगिरहण पर व्यय ।
2. वदिशी सरकारों से प्राप्त ऋण ।
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदात्त ऋण और अग्रमि ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/scheme-of-special-assistance-to-states-for-capital-investment>

